

पत्र सं- एल-11012/07/2023 (एल एंड एम)
भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
(सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार का कार्यालय)

9वीं मंजिल, डब्ल्यूटीसी,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली-11002
दिनांक: 19 अप्रैल, 2024

कार्यालय आदेश

बहु राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023 और एम.एस.सी.एस संशोधन नियम, 2023 को राजपत्र अधिसूचना क्रमशः दिनांक 03.08.2024 एवं 04.08.2023 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

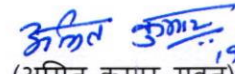
2. एम.एस.सी.एस (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 45(1) के अनुसार, केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, सहकारी चुनाव प्राधिकरण (सीईए) के रूप में जाना जाने वाला एक प्राधिकरण स्थापित करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

3. वर्तमान में अध्यक्ष, सहकारी चुनाव प्राधिकरण की नियुक्ति हो गई है। परिणामस्वरूप, अगले आदेश तक निम्नलिखित सहकारी चुनाव प्राधिकरण का गठन किया जाता है:

- | | | |
|-----|---|------------------------------------|
| (क) | श्री देवेंद्र कुमार सिंह | - अध्यक्ष, सहकारी चुनाव प्राधिकरण, |
| (ख) | श्री कपिल मीणा, निदेशक, (सीटीपी-II) | - सदस्य |
| | सहकारिता मंत्रालय | |
| | (नियमित उपाध्यक्ष के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने तक) | |
| (ग) | श्रीमती मोनिका खन्ना, संयुक्त रजिस्ट्रार | - सदस्य (महिला) |
| | (केन्द्रीय पंजीयक सहकारी समितियाँ) | |
| | (नियमित सदस्य के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने तक) | |

4. क्रम सं: 3(ख) एवं (ग) पर स्थित सदस्य बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के अपने मौजूदा कार्य के अलावा, एम.एस.सी.एस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार सहकारी चुनाव प्राधिकरण के कार्य का निर्वहन करेंगे।

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(अमित कुमार रावत)

भारत सरकार के अवर सचिव

प्रीतिलिपी:-

- | | | |
|----|---|-------------------------------------|
| 1. | श्री देवेंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष, सहकारी चुनाव प्राधिकरण | - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु |
| 2. | श्री कपिल मीणा, निदेशक, सीटीपी-2, सहकारिता मंत्रालय | - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु |
| 3. | श्रीमती मोनिका खन्ना, संयुक्त रजिस्ट्रार, | - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु |
| 4. | समस्त बहु-राज्य सहकारी समितियां | - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु |
| 5. | पी एस ओ, सचिव, सहकारिता मंत्रालय | - सूचनार्थ |
| 6. | वरिष्ठ निजी सचिव, केन्द्रीय पंजीयक सहकारिता समितियाँ- | सूचनार्थ |